संख्या-135/2020/2859/26-3-2020

प्रेषक,

भगवती,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 अक्टूबर 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में विचाराधीन सुश्री अनामिका दुबे पूर्व छात्रा शान्ती देवी मेमोरियल महिला महाविद्यालय, देवरिया को मुआवजे की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-1927/स0क0/शिक्षा-अ/2/34/2020-21, दिनांक-26.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में विचाराधीन सुश्री अनामिका दुबे पूर्व छात्रा शान्ती देवी मेमोरियल महिला महाविद्यालय, देवरिया को मुआवजे के रूप में धनराशि रू0-50,000/- (रू0-पचास हजार मात्र) के भुगतान हेतु चालू वित्तीय 2020-21 में अनुदान संख्या-80 के लेखा शीर्षक-2235-02-200-10-00-20 में प्राविधानित रू0-50.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 50,000/- (रू0-पचास हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये श्री राज्यपाल भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

भगवती
संयुक्त सचिव।

पृ.संख्या-135/2020/2859(1)/26-3-2020 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

भगवती
संयुक्त साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in